न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–06/2019

जीसीएमएस नं. :–2019/00038

भंवरसिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम्

1. धन्नेसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगागनर (राज.)
2. रामसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगागनर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

वकील उपस्थित

1. तिलकराज चुघ एडवोकेट	प्रार्थी की ओर से
2. योगेन्द्र कुमार एडवोकेट	अप्रार्थी सं.–1 व 2 की ओर से
3. राज पैरोकार	अप्रार्थी सं.–3 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांक :–13/10/25**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से वाके चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–2 पत्थर सं. 254/477 के किला नम्बर 2 ता 4 प्रत्येक सालम, 7/1 का 0.202, किला नं.–8 ता 10 [illegible]/1 का 0.177, किला नम्बर 12, 13, 18 ता 21 प्रत्येक सालम कुल 3.06 है[illegible] व [illegible] नं.–1 पत्थर सं. 255/477 का किला नम्बर 16 का 0.101, 24 का 0.025, 25 का [illegible] हैक्टर कुल 0.354 हैक्टर इस प्रकार कुल तदादी 3.415 हैक्टर क[illegible] खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा सयुक्तं रूप से दर्ज है उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यो के नाम से है लेकिन प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमि की काश्त सारसंभाल इत्यादि करता है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

स्वीतशुदा नहीं है। जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। अप्राथी सं.–1 व 2 के नाम से इसी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 के किला नम्बर 4 का 0.152, 5/2 का 0.228, 5/2 का 0.025, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025, 7 सालम, 8 का 0.051, 8, 13, 14 प्रत्येक सालम, 15/1 का 0.228, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0.025, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, 21/1 का 0.038, 22/1 का 0.203, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.202 हैक्टर कुल तदादी 3.378 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि है। जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता हैं कि चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में कुतर फाड नहर हैं जो नहर मौका पर चल रही है तथा इसी मुरब्बा के किला नम्बर 21 ता 25 की लाईन में स्वीकृतशुदा रास्ता है। पटवारी हल्का द्वारा जारी नजरी नक्शा की प्रति सलग्न है। चूकिं प्रार्थी व उसके परिवार की उक्त सयुक्तं खाता की कृषि भूमि है। जिसका आवागमन के लिए, उसमें आने जाने कृषि यंत्र व अन्य संसाधन लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही हैं तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए में मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में कुतर फाड नहर के साथ–साथ रक्बा राज की भूमि किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में 16 फुट रास्ता पिछले करीब 50–60 वर्षो से यानि जब से नहर बनी हैं तब से निबार्ध रूप से चल रहा हैं जो रास्ता स्वीकृतशुदा रास्ता पर आकर खुलता है जो रास्ता निरन्तर मौका पर चालू हैं जिसका प्रार्थी व उसका परिवार पिछले अरसा दराज से निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी व उसके परिवार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अन्य कोई रास्ता सुगम व सुविधाजनक नहीं है। ऐसी स्थिति में मुरख्या नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में कुतर फाड नहर के साथ साथ रक्बा राज की भूमि किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में 16 फुट रास्ता रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जो रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी कृषि भूमि की काश्त करने, सिंचाई करने एवं आवागमन करने के लिऐ रास्ता एक अहम बिन्दू हैं जिसके लिए रास्ता ना होने पर प्रार्थी की भूमि में काश्त करना, सिचिंत करना, कृषि संयत्र लाना ले जाना व उसमें आवागम करना दुर्लभ होगा। ऐसी स्थिति में भी मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं. 255/478 में नहर के साथ साथ रक्बा राज की भूमि किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में 16 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाना सुविधाजनक होगा। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि उक्त नहर के साथ साथ रक्बा राज. की भूमि है और उसी में ही [illegible] करीब 50–60 वर्षो से निबार्ध रूप से चल रहा हैं लेकिन इस मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में कुतर फाड नहर व रक्बा राज की भूमि के साथ अप्रार्थी सं.–1 व 2 की भूमि के किला नम्बर 4 व 22 का कोना ही लगता हैं जिस सम्बधं में तहसीलदार व हल्का पटवारी से रिपोर्ट मगवायें जाने से समस्त वस्तुस्थिति श्रीमानजी के समक्ष प्रकट हो सकेगी अगर अप्रार्थी सं.–1 व 2 के किला नम्बर 4 व 22 के कोना की जो भूमि रास्ता में आऐगी उसका प्रार्थी डी एल सी रेट अनुसार अप्रार्थी सं.–1व 2 को राशि भी अदा करने को तैयार हैं तथा रक्बा राज की भूमि में जी रास्ता चल रहा हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उस रास्ता की भूमि का भी प्रार्थी डी एल सी रेट अनुसार राशि राज्य कोष में जमा करवाने के लिए तैयार है। अब पिछले कई दिनों से अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर स 255/478 में नहर के साथ साथ रक्बा राज की भूमि किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में 16 फुट रास्ता पर चल रहे रास्ता में अवरोध पैदा कर प्रार्थी के अवागमन में व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के साथ उक्त रास्ता को लेकर लडाई झगडा करना शुरू कर दिया जिस सम्बधं में प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 व 2 को कई बार समझाया कि नहर के साथ साथ रक्बा की भूमि में उक्त रास्ता पिछले करीब 50–60 वर्षों से अर्थात जब से नहर आई हैं तभी से निवार्ध रूप से चल रहा हैं इस रास्ता के अलावा प्रार्थी व उसके परिवार को अपने रक्बा में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही हैं तथा उक्त रास्ता का प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य उपयोग उपभोग करने के विधिक अधिकारी हैं लेकिन अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थी की कोई बात मानने से इन्कार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वे प्रार्थी को अपनी भूमि में कोई रास्ता नही होने और ना ही नहर के साथ साथ की भूमि में कोई रास्ता चलने देगें बल्कि जो रास्ता चल रहा हैं उसे भी शिघ्र ही बन्द कर समतल कर देगें बस यही बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यो के नाम की कृषि भूमि जिसका वर्णन मद सं.–2 में दिया गया है में आवागमन के लिऐ चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में कुतर फाड नहर के साथ साथ रक्या राज की भूमि किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में 16 फुट चल रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया कि वर्णित रकबा में भंवरसिंह का 1/4 हिस्सा मुस्तरका है। मु.नं.–8 प.नं.–255/478 में कुत्तर फाड़ नहर बनी हुई है। शेष मद मिथ्या, मनघढंत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। सही वा वास्तविक तथ्य यह हैं कि मु.नं.–8 प.नं.–255/478 में नहर के साथ साथ न तो रकबा राज की भूमि और ना ही 16 फुट रास्ता पिछले करीब 50–60 सालों से व उससे पूर्व और ना ही वर्तमान में चल रहा है। जब तथाकथित रास्ता हैं ही नहीं है। तब प्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा अरसा दराज से निरन्तर उपयोग, उपभोग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा तथाकथित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता सुगम व सुविधाजनक नहीं है, का कथन मिथ्या, मनघडन्त व कतई बेमानी तथ्यों के आ[illegible] किये गये है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 के साथ चिपते मु.नं.–8 प.नं.–255/478 [illegible] 253/478 व प.नं. 253/477 जो कि विवादित मुरब्बे से पूर्व दिशा में स्थित है [illegible] के लिए सुगम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हैं और प्रार्थी व उसके परिवार के लोग [illegible]मन के लिए उक्त मुरब्बों में से जो कि प्रार्थी के परिवारजनों के ही उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। इसलिए भी प्रार्थी द्वारा वांछित तथाकथित रास्ता स्वीकृत किए जाना न्यायोचित नहीं है जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होगा। प्रार्थी को सुगम व सुविधाजनक तथाकथित रास्ता नहीं होगा, बल्कि प्रार्थी को उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

15 बीघा दूर पडेगा तथा सुगम व सुविधाजनक न होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। शेष विवरण अतिरिक्त कथन में वर्ज है। अप्रार्थीगण प.नं.–255/478 में कोई रास्ता चल ही नहीं रहा हैं तो प्रार्थी के द्वारा उस रास्ते का उपयोग उपभोग करने व अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान पैदा करने, अप्रार्थीगण के द्वारा अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थी की बात मानने से इन्कार करने, रास्ता नहीं देने आदि आदि झूठे, मनघडन्त व प्रार्थना पत्र को तरजीह देने तथा मिथ्या वादकारण बनाने के लिए दर्ज किये गये हैं। प्रार्थी को कोई विनाय मुखास्मत प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा वाछित रास्ता प्रार्थी को लगभग 15 बीघा दूर पडेगा चूंकि उक्त वांछित रास्ता सुगम ब सुविधाजनक नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि को पहले से ही सुगम व सुविधाजनक दो रास्ते उपलब्ध हैं जिनका प्रार्थी उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जिन्हें अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में स्पष्टतया दर्शाया गया है। यह प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीगण को तंग वा परेशान करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण यहां यह भी निवेदन करते हैं कि प्रार्थी के प.नं. 254/477 के समीपस्थ तीन मुरब्बे क्रमशः प.नं. 254/478, 253/478 व प.नं. 253/477 प्रार्थी के परिवारजनों के ही है जिनके प्रार्थी रास्ता प्राप्त कर सकता है जो कि प्रार्थी सुगम व सुविधाजनक होगा उक्त मुरब्बों के चारों ओर स्वीकृतशुदा रास्ता निरन्तर उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। नजरी नक्शा सलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त किया जावे।

तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 3 एन डी के प.न. 255/478 के कि.न. 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22 में रास्ते के सबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नप्रकार हैः–

चक 3 एन डी का पत्थर नं.–255/478 मुरब्बा नं.–8 का किला नं.–4 का 0.101, 8 का 0.202, 13 का 0.051, 19 का 0.127, 21 का 0.202 व चक 2 एन डी (बी) का पत्थर नं. –255/478 मुरब्बा नं.–19 का किला नं.–3 का 0.203, 9 का 0.114, 11 का 0.025, 12 का 0. 240, 20 का 0.139 इस प्रकार कुल भूमि 1.404 हैक्टर भूमि मौके पर नहर का रकबा है (सिचाई विभाग) जो कि राजस्व रिकार्ड की जमाबदी में दर्ज नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड के नक्शे में संबधित पटवारी व गिरदावर के हस्ताशर से चक सीमा में प्रमाणित है। मौके पर रास्ता पत्थर नं. –255/478 मुरब्बा नं.–8 का किला नं.–4, 7, 8, 13, 18, 19, [illegible] चल रहा है। जो कि खातेदार रामसिंह धन्नेसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत का रकबा है। पत्थर नं.–255/478 मुरब्बा नं. –8 में किला नं.–21 ता 25 में 33 फुट का स्वीकृत शुदा रास्ता है। पत्थर नं.–255/478 मुरब्बा नं.–8 में किला नं.–4 में अस्वीकृत रास्ते के आवागमन हेतु पुलिया बनी हुई है जो कि प्रार्थी भवंर सिंह पुत्र देवी सिंह वगैरह के आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही है। मौका निरीक्षण का फर्द मौका रिपोर्ट के साथ सलग्न है। चक 3 एन डी का पत्थर नं.–255/448 मुरब्बा नं.–8 का नजरी नक्शा रास्ते की स्थिती हेतु सलग्न है। उक्त रास्ते पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अनूपगए

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

का प्रकरण भी जैरकार है। पूर्व में रास्ते पर हुई लड़ाई झगड़ा से सबधित FIR व अन्य दस्तावेज भी सलग्न है। मौके पर प्रार्थी भवंर सिंह पुत्र देवी सिंह व सह खातेदारो के आवागमन हेतु यही एकमात्र उपलब्ध रास्ता जो कि पूर्व काफी समय से चलता हुआ व उपयोग में भी लिया जा रहा है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 में किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21/1, 22/1 में 16 फुट रास्ता खेत हेतु मांग की है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी. एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि चक 3 एन डी मुरब्बा नम्बर 8 पत्थर सं.–255/478 का किला नम्बर 4, 7, 8, 13, 19, 21/1, 22/1 में 16 फुट रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता हैं तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल किया जाकर रास्ते में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 13/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़